पांच FIVE R ONE R एक रु ONE R ५०पैसे 50PAISE

06

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६६ पुनरीक्षण निग/म-॥/भि/१२५/९६

जगदीश पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम पिपरोली
तहसील मेहगांव जिला भिण्ड ---- आवेदक

विरुद्ध

१- नाथूराम पुत्र रामनाथ
२- शीलादेवी पत्नी रामनाथ
३- पुष्पा } अवयस्क पुत्रियां मातादीन
४- सावित्री } ~~संरक्षक पिता स्वयं मातादीन~~
५- कृष्णमुरारी } पुत्रगण मातादीन
६- रामगोपाल }
७- सरोज पुत्री मातादीन
समस्त निवासीगण ग्राम उदोतपुरा हाल निवासी
अटेर रोड भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड

------- अनावेदकगण

क्रमांक ......
श्री एस० के० .... 30.1.96
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 30.1.96
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त चम्बल संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक २३१।८३-८४ अपील में पारित आदेश दिनांक ३०-११-९५ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता १९५९.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(२) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण १ से ७ व्दारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 125/96 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 231/83–84/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.95 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अनावेदक नाथूराम आदि एवं आवेदक जगदीश के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है। प्रकरण में अनावेदक नाथूराम आदि एवं उसके अभिभाषक द्वारा पेशी दिनांक 29.03.84 को अनुपस्थित रहे, इसी कारणवश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । इसके पश्चात ही प्रकरण में आवेदक द्वारा पुनः प्रकरण स्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना गया और दिनांक 26.06.84 को प्रकरण पुनः स्थापित करने के आदेश जारी किये गये । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत	

की गई, जिसे अनावेदकगण के अभिभाषक ने आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निगरानी में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया । अनावेकदगण के अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार किया गया और अपील को निगरानी में परिवर्तित किया गया । इस निगरानी का मुख्यतः यह अधार दर्शाया गया है कि अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और प्रकरण पुनः स्थापित करने की भूल की है । इसी को आधार मानकर अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा दिनांक 30.11.95 को आदेश पारित कर निगरानी/अपील स्वीकार की गई तथा प्रकरण निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.11.95 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । अपर आयुक्त के समक्ष अपील जिसे निगरानी में परिवर्तित कर सुनवाई की गई है यह मान्य किया गया है कि प्रकरण का पुनः स्थापित करने का आदेश न्यायोचित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूक्ष्म तकनीकी आधार पर निरस्त किया गया है । तर्क में यह कहा गया है कि दिनांक 26.06.84 के आदेश को लगभग 12 वर्ष बाद पुनः अनिर्णीत स्थिति में लाना

न्याय एवं प्रक्रिया के विपरीत है । अपर कलेक्टर ने अपने विवके का उपयोग कर गुण–दोषों पर विवाद का निर्णय करने के उद्देश्य से जो आदेश पारित किया गया था, वह दोनों पक्षों के लिये उचित था । प्रकरण में मूल विवाद नामांतरण का था, जिसका निराकरण वरिष्ठ न्यायालय में हुआ था । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे एवं प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 24.03.84 को उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित थे, किन्तु दिनांक 29.03.84 को अनावेदकगण अनुपस्थित रहे । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । दिनांक 25.06.84 को अनावेदकगण के अभिभाषक की बहस श्रवण करने के उपरांत प्रकरण दिनांक 26.06.84 को पुनः स्थापित किया गया । विचाराधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के राजस्व निर्णय 1980 पृष्ठ 111 के न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुये आदेश दिये गये है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकारों को

सजा नहीं मिलनी चाहिये । पुनः स्थापन में आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत हुआ है उसे क्षमा कर देना चाहिये ।

6/ उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुये मेरे विवेकानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पारित करने पूर्व दूसरे पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है । इसी आधार को मानते हुये अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रकरण पुनः स्थापना हेतु दिया गया आवेदन–पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रकरण निराकरण किया जावे । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश को उचित मानता हूँ, क्योंकि निर्णय लिये जाते समय यह विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि उक्त निर्णय से पक्षकार के हित तो प्रभावित नहीं हो रहे ।

अतः मेरे मतानुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया गया आदेश विधिसंगत होने से उसे स्थिर रखा जाता है । प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य